



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1771 वर्ष 2026

मुजीबुल्लाह@मुज्जी

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह विभाग लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: विवेक कुमार पाण्डेय, नीरज कुमार बघेल
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -28

माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव भारती

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि गैंग चार्ट में, आवेदक के विरुद्ध एक मामला दिखाया गया है। उस अकेले मामले में, आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। जमानत का आदेश पत्रावली पर है। उस मामले के अतिरिक्त, आवेदक का पांच अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है जैसा कि जमानत प्रार्थना पत्र के परिच्छेद 8 में वर्णित है। आवेदक के विरुद्ध अन्य कोई मामला लंबित नहीं है। आवेदक 07.01.2026 से जेल में है।

यह भी बताया गया है कि आवेदक यूपी गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(बी) की आवश्यकताओं के अनुसार एक वचनपत्र देने के लिए तैयार है।

आगे यह भी बताया गया है कि आवेदक के न्यायिक हिरासत से भागने या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

3. विद्वान् अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताए गए उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और आरोपों की प्रकृति पर भी विचार करते हुए कि आवेदक को गैंग चार्ट में दिखाए गए मामले में जमानत पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

रिहा किया जा चुका है, जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित आवेदक का आपराधिक इतिहास, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क और वह अवधि जब से आवेदक जेल में है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना मैं इस मामले को आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए उपयुक्त पाता हूँ।

5. आदेश दिया जाता है कि आवेदक मुजीबुल्लाह उर्फ मुज्जी, जो थाना कंधाई, जिला प्रतापगढ़ में दर्ज वाद अपराध संख्या 1/2026 में धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत, आरोपी है, को एक निजी मुचलका और दो सामान राशि की ऐसी जमानतों, जिनसे सम्बंधित न्यायालय संतुष्ट हो, पर न्यायहित में आरोपित निम्नलिखित शर्तों के साथ रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक परीक्षण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से पीछे हट जाए या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक एक लिखित वचन देगा कि वह साक्ष्यों के लिए नियत तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक, यूपी गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(बी) की आवश्यकताओं के अनुसार एक और लिखित वचन देगा कि वह किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा और न ही जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

यदि आवेदक इस शर्त का उल्लंघन करता है, तो परीक्षण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(vi) विचरण न्यायालय कोई भी अन्य शर्त जो वो उचित समझे आरोपित कर सकता है।

6. उपरोक्तानुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

26 मार्च, 2026

केकेबी/

(न्यायाधीश श्री राजीव भारती)